पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 140/2023

अनवान :

सुभाषचन्द्र पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।

:-

वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र भुराराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
2. रतिराम पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी कणाऊ तहसील भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जुन बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाऊ के खाता सं0 108/114 के खसरा सं0 140 की 8.612है0, ख0सं0 771/603 की 0.6070 है0 कुल खसरे 2 की कुल 9.219है0 वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 नन्दराम अकेले की बजाय वादी सुभाषचन्द्र, प्रतिवादी सं0 1 नन्दराम व प्रतिवादी सं0 2 रतीराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किए जाते हैं। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner